मॉयल लिमिटेड, नागपुर में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने की दिशा में कार्यो में हो रही प्रगति पर एक अवलोकन

1. मॉयल लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के अधीन एक"शेडयूल ए" मिनी रत्नसार्वजनिक उपक्रम है। जिसकी महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश राज्य में मैंगनीज अयस्क की 10 खदानें कार्यरत है। साथ ही महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में स्थित डोंगरी बुजुर्ग खान पर इलेक्ट्रो मैंगनीज डायऑक्साईड संयंत्र तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट खान पर फैरो मैंगनीज संयंत्र कार्यरत है। वर्तमान में कंपनी की मानव शक्ति लगभग 6340 है।
2. मॉयल लिमिटेड की सभी खदानों में 97 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली भी लागू की गई है। कंपनी ने हिंदी से संबंधित साफ्ट वेयर सभी कम्प्यूटरों में उपलब्ध कराये है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि इसका उपयोग हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कर सके।

   कंपनी कार्यलयीन भाषा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार की हिदी प्रतियोगिताए जैसे निबंध प्रतियोगिता, टिप्पणी लेखन, नोटिंग ड्राप्टींग, एवं कविता प्रतियोगिताए हिंदी के प्रोत्साहन हेतु आयोजित की जाती है, जिन्हें कंपनी की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है हिंदी में प्रशिक्षण हेतु गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के तहत 312 कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्राज्ञ (उच्च स्तर) प्रशिक्षित किया जा चुका है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

   इस्पात मंत्रालय के सहयोग से मॉयल लिमिटेड ने दिल्ली में हिंदी सेमिनार का भी आयोजन किया। जिसमें 26 केन्द्रीय अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों मंत्रालय के कर्मचारियों ने भाग लिया। कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एवं गृह पत्रिका संकल्प को सराहा गया। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्य संस्थानों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
3. राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन योजनाओं निरन्तर कार्यान्वित किया जाता रहता है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

कार्य निष्पादन.....

1) संस्थान का मुख्य कार्यालय एवं सभी इकाईयां राजभाषा अधिनियम 10 (4) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित है।

2) संस्थान की सभी विज्ञप्तियां, आदेश, विज्ञापन, परिपत्र, टेंडर फार्म तथा टेंडर इनक्वायरीज द्विभाषी रूप में जारी की जाती है।

3) संस्थान के सभी कोड, मैनुअल द्विभाषी हैः– जैसे––––

1. स्थाई आदेश 2. क्रय कार्य विधि 3. कर्मचारी आचरण नियम 4. भर्ती और पदोन्नती नियम 5. अवकाश नियम 6. शिकायत प्रक्रिया 7. नागरी अभियांत्रिक कार्य प्रणाली 8. वाहन क्रय हेतु अग्रिम धन राशि स्वीकृती तथा वसूली नियम 9. दैनिक भत्ता एवं वाहन भत्ता नियम 10 सुझाव पेटी नियम 11 चिकित्सा नियम इत्यादि।

4) क तथा ख क्षेत्र की सभी इकाईयों पर कामगारों संबंधी सभी कार्य केवल हिंदी में ही किये जाते है। जैसे रजिस्टारों में उपस्थिति, वेतन रजिस्टर, वेतन पत्र, अवकाश के आवेदन पत्र एवं उनके कार्य विवरण आदि।

5) कामगार/कर्मचारियों/अधिकारियों की इनक्वारियां केवल हिंदी में की जाती है।

6) कामगार/कर्मचारियों से संपूर्ण पत्राचार केवल हिन्दी में किया जाता है।

7) सर्विस पुस्तकों में प्रविष्टियां हिंदी में होती है।

8) छुट्टियां को लेखा–जोखा हिंदी में किया जाता है।

9) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में मूल्यांकन द्विभाषी लिखा जाता है।

10) समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं विज्ञप्तियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ–साथ प्रकाशित किए जाते है।

11) हिंदी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिये जाते है।

12) सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि अपना निजी काम हिंदी में अवश्य करें।

13) फाइलों पर टिप्पणी के अंत में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, भले ही टिप्पणी अंग्रेजी या हिंदी में लिखी हो।

14) मंत्रालय में समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यु.) हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर होता है।

15) अपने अपने स्तर पर जारी हिंदी अथवा अग्रेजी पत्रों पर हस्ताक्षर हिंदी में करें।

16) सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना मासिक वेतन लेने के लिए हस्ताक्षर केवल हिंदी में करें।

17) क तथा ख क्षेत्र में स्थित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी कार्यालयों का पत्राचार संपूर्ण कार्य केवल हिंदी भाषा में किया जाता है।

18) मुख्यालय के अलावा सभी इकाईयों में राजभाषा अधिकारी का कार्य करने हेतु कार्मिक/कल्याण अधिकारियों को नामांकित किया गया है।

19) संस्थान की संपूर्ण स्टेशनरी द्विभाषी है।

20) फाइलों पर संस्थान का लोगो द्विभाषी बना लिय गया तथा फाइलों पर शीर्षक/विषय हिंदी में अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाते है।

21) विभागों में उपयोग में आने वाली रबर की मोहरें द्विभाषी है।

22) नामपट्ट तथा बिल्ले द्विभाषी है।

23) प्राप्त तथा प्रेषण रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाती है।

24) सभी कम्प्यूटर पर हिंदी सॉफ्ट वेयर लोड है।

25) कर्मचारियों का हिंदी शब्द भंडार निरन्तर बढाने की दृष्टि से प्रत्येक दिन मुख्य कार्यालय तथा इकाईयों में एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय श्याम–पट पर लिखा जाता है।

26) संस्थान की त्रैमासिक गृह पत्रिका हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी में प्रकाशित की जाती है और गृह पत्रिका का नाम बदलकर संकल्प किया गया है।

27) मुख्य कार्यालय तथा संस्थान की प्रत्येक इकाईयों में हिंदी सप्ताह/पखवाडा नियमित रूप से मनाया जाता है।

28) हमारा संस्थान का मुख्य रूप से कार्य तकनीकी है। तकनीकी विषयों पर पत्राचार की सुविधा के लिए हिंदी शब्द चयनिका नाम से अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली प्रकाशित की गई जिसमें हिंदी तकनीकी शब्दों के साथ साथ प्रशासनिक, लेखा, नागरी, अभियांत्रिकी, भू–वैज्ञानिक विषयों के अंग्रेजी–हिंदी शब्दों का समावेश किया जाता है। यह हिंदी शब्द चयनिका सभी विभागों एवं इकाईयों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई है, जिसके फलस्वरूप हिंदी पत्राचार में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।

प्रोत्साहन योजनाः

(1) प्रतियोगिताएंः

हिंदी में कार्य करने की दिशा में कर्मचारियों को प्रेरित करने की भूमिका में मुख्य कार्यालय एवं इकाईयों में समय समय पर निबंध, वाक, कहानी, स्मृती, अंग्रेजी–हिंदी प्रर्याय शब्द, कविता, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन एवं सुझाव प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं में श्रेष्ट प्रतियोगी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है।

संस्थान में प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क एवं ख क्षेत्र में पत्राचार प्रतियोगिता के अंतर्गत इकाईयों एवे विभागों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार के लिए शील्ड एवं कप प्रदान किए जाते है।

(2) पुस्तकालयः

संस्थान के मुख्यालय एवं सभी इकाईयों पर पुस्तकालय स्थापित किये गए है एवं कुल पुस्तकों की खरीदी में से 50–55 प्रतिशत हिन्दी की पुस्तकों की खरीदी की जाती है।

प्रगति विवरणः

(1) हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति को देखते हुए वर्ष की समाप्ति तिमाही में आंकडे नीचे दिये अनुसार हैः–

वर्ष	क क्षेत्र	ख क्षेत्र
2013	96%	96%
2014	96%	96%

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकः

(1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक की जाती है।

उपलब्धियां.....

संस्थान में हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति का देखते हुए इस्पात मंत्रालय एवं नगर राजभाषा कार्यन्वयन सतिति की ओर से लगातार पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसका ब्यौरा नीचे दर्शाये गया हैः–

इंदिरा गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत इस संस्थान को इस्पात एवं खान मंत्रालय द्वारा लगातार 10 वर्षो तक चल वैजयंती का प्रथम पुरस्कार पाते रहने के कारण यह पुरस्कार स्थाई रूप से प्रदान कर दिया गया।

इस संस्थान को 8/11/2001 को सहस्त्राब्दि शील्ड पुरस्कार पाने का गौरव प्राप्त हुआ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा भी प्रथम पुरस्कार अनेक शील्ड प्राप्त हुए।

राजभाषा संस्थान नई दिल्ली की ओर से आलेख प्रस्तुती के लिए अक्टुबर 2005 को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हाल ही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर द्वारा मॉयल की गृह पत्रिका संकल्प को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।